## समागम शिक्षा अभियान

समागम शिक्षा स्कूल शिक्षा क्षेत्र के लिए प्री-स्कूल से 12 वीं कक्षा तक फैले हुए कार्यक्रम है। स्कूली शिक्षा और समान शिक्षण परिणामों के समान अवसरों के मामले में मापी गई स्कूल प्रभावशीलता में सुधार के व्यापक लक्ष्य के साथ यह योजना तैयार की गई है। यह सर्व शिक्षा अभियान (SSA), राष्ट्रीय मध्यम शिक्षा अभियान (RMSA) और शिक्षक शिक्षा (TE) की तीन योजनाओं की सदस्यता लेता है।

## प्रमुख विशेषताएं

- 1. शिक्षा के लिए समग्र दृष्टिकोण
- कक्षा एक से बारहवीं तक स्कूल शिक्षा क्षेत्र के लिए एकल योजना- वरिष्ठ माध्यमिक स्तर पर हस्तक्षेप का विस्तार।
- प्री-स्कूल से कक्षा 12 तक एक निरंतरता के रूप में स्कूल शिक्षा को समग्र रूप से समझें
- पूर्व-प्राथमिक शिक्षा शुरू करने के लिए राज्यों का समर्थन करना
- पहली बार स्कूली शिक्षा के समर्थन में वरिष्ठ माध्यमिक स्तर और प्री-स्कूल स्तर का समावेश
- 2. प्रशासनिक स्धार
- एकल और एकीकृत प्रशासनिक संरचना, जो सामंजस्यपूर्ण कार्यान्वयन के लिए अग्रणी है
- योजना के तहत उनके हस्तक्षेप को प्राथमिकता देने के लिए राज्यों को लचीलापन

- एक एकीकृत प्रशासन 'स्कूल' को एक निरंतरता के रूप में देख रहा है
- 3. शिक्षा के लिए उन्नत अनुदान
- बजट बढ़ाया गया है।
- गुणवत्ता सुधार के लिए किए गए लर्निंग आउटकम और कदम योजना के तहत अनुदान के आवंटन का आधार होंगे।
- 4. शिक्षा की गुणवत्ता पर ध्यान दें
- लर्निंग आउटकम के सुधार पर जोर
- शिक्षकों की क्षमता में वृद्धि
- सिस्टम में भावी शिक्षकों की गुणवत्ता में सुधार के लिए एससीईआरटी और डाइट जैसे शिक्षक शिक्षा संस्थानों को मजबूत करने पर ध्यान केंद्रित करना
- एससीईआरटी इन-सर्विस और प्री-सर्विस शिक्षक प्रशिक्षण के लिए नोडल संस्थान है – प्रशिक्षण को गतिशील और आवश्यकता-आधारित बना देगा।
- ऑनलाइन और ऑफलाइन मोड में शिक्षकों के क्षमता निर्माण पर जोर देने के साथ-साथ शिक्षक शिक्षा संस्थानों SCERT / DIET / BRC / CRC / CTE / IASEs को मजबूत बनाने पर जोर दिया गया।
- पुस्तकालयों की मजबूती के लिए प्रति विद्यालय वार्षिक अनुदान
- लगभग दस लाख स्कूलों को पुस्तकालय अनुदान दिया जाना।
- दो टी शिक्षक और प्रौद्योगिकी पर ध्यान केंद्रित करके शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार पर ध्यान केंद्रित
- संसाधनों के उन्मुख आवंटन का स्वागत

- 5. डिजिटल शिक्षा पर ध्यान दें
- 5 साल की अवधि में सभी माध्यमिक विद्यालयों में सहायता ऑपरेशन डिजिटल बोर्ड <sup>7</sup>, जो शिक्षा में क्रांति लाएगा– समझने में आसान, प्रौद्योगिकी आधारित शिक्षण कक्षाएँ फ़्लिप कक्षाओं बन जाएँगी।
- स्मार्ट कक्षाओं, डिजिटल बोर्डों और डीटीएच चैनलों के माध्यम से शिक्षा में डिजिटल प्रौद्योगिकी का उन्नत उपयोग
- शाला कोष, शगुन, शाला सारथी जैसी डिजिटल पहलों को मजबूत किया जाना
- उच्च प्राथमिक से उच्च माध्यमिक स्तर तक के स्कूलों में आईसीटी बुनियादी ढांचे को मजबूत करना।
- "DIKSHA", शिक्षकों के कौशल उन्नयन के लिए शिक्षकों के लिए डिजिटल पोर्टल का बड़े पैमाने पर उपयोग किया जाता है
- गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की पहुंच और प्रावधान को बेहतर बनाने के लिए प्रौद्योगिकी का उन्नत उपयोग – Sh सबको शिक्षा अचि शिक्षा '
- 6. विद्यालयों का सुदृढ़ीकरण
- गुणवता में सुधार के लिए स्कूलों के समेकन पर जोर
- स्कूल तक सार्वभौमिक पहुंच के लिए I से VIII तक सभी वर्गों के बच्चों को उन्नत परिवहन सुविधा
- स्कूलों में बुनियादी ढांचे की मजबूती के लिए आवंटन में वृद्धि
- समग्र विद्यालय अनुदान में वृद्धि हुई और स्कूल नामांकन के आधार पर आवंटित किया गया।
- स्वच्छ गतिविधियों के लिए विशिष्ट प्रावधान 'स्वच्छ विद्यालय' का समर्थन

- सरकारी स्कूलों में बुनियादी ढांचे की गुणवता में सुधार
- 7. बालिका शिक्षा पर ध्यान दें
- लड़कियों का सशक्तीकरण
- कक्षा 6-8 से कक्षा 6-12 तक केजीबीवी का उन्नयन।
- उच्च प्राथमिक से उच्च माध्यमिक स्तर तक की लड़कियों के लिए आत्मरक्षा प्रशिक्षण
- CWSN लड़िकयों को कक्षा I से XII तक प्रदान करने के लिए वजीफा। - पहले केवल IX से XII तक।
- 'बेटी बचाओ बेटी पढाओ' के लिए बढ़ी प्रतिबद्धता
- 8. समावेश पर ध्यान दें
- आरटीई अधिनियम के तहत वर्दी के लिए आवंटन प्रति बच्चा प्रति वर्ष बढ़ाया गया।
- आरटीई अधिनियम के तहत पाठ्यपुस्तकों के लिए आवंटन, प्रति बच्चे प्रति वर्ष बढ़ाया गया। सिक्रय पाठ्यपुस्तकों को पेश किया जाना है।
- विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के लिए आवंटन (CwSN) रुपये से बढ़ा। 3000 से रु। 3500 प्रति बच्चा प्रति वर्ष। रुपये का वजीफा। कक्षा 1 से 12 तक विशेष आवश्यकताओं वाली लड़कियों के लिए 200 प्रति माह।
- ko सबको शिक्षा आशिक्षा के लिए प्रतिबद्धता '